


22/11/24

कमुलाम उपरुण प्रार्थना पत्र से संबन्धित मूल काद
डिकी हो गया है। प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्य-
वाही किमा जाना अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना
पत्र अल्ट्वाई निषेधाज्ञा खारीज किमा जाता है।
पत्रावली फैलल मुमार टोक (नम्बर्) ले रुम ठोकर
दाखिल रफ्तार हो।



(बृजेश कुमार)

सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

